न्यायालय जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

(1) राजस्व अपील सं0 35/2022

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र भुवाना
2. शम्भू उर्फ शम्भूदयाल पुत्र भुवाना
3. हरिनारायण पुत्र भुवाना
4. हजारी पुत्र कजोड

समस्त जाति मीना निवासी ढाणी डोबल्या, ग्राम पापडदा, तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

......अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये उप तहसीलदार पापडदा जिला दौसा

...रेस्पों0

(2) राजस्व अपील सं0 34/2022

रामखिलाडी पुत्र अमरपाल मीना जाति मीना निवासी ढाणी डोबल्या, ग्राम पापडदा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा ।

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये उप तहसीलदार पापडदा जिला दौसा

...रेस्पों0

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट विरूद्ध निर्णय उप तहसीलदार पापडदा दिनांक 31.10.2022 जो कि मुकदमा नम्बर 120/2022 उनवानी सरकार बनाम लक्ष्मीनारायण व अन्य, धारा 91 लै०रे0एक्ट व अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट विरूद्ध निर्णय उप तहसीलदार पापडदा दिनांक 31.10.2022 जो कि मुकदमा नम्बर 112/2022 उनवानी सरकार बनाम रामखिलाडी धारा 91 लै०रे0एक्ट में पारित किया गया है ।

उपस्थितः–1. श्री मोहम्मद आरिफ, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 27.3.2026

1. उक्त दोनों अपीलों के तथ्य एवं विषयवस्तु लगभग एक समान है। अतः इन दोनों अपीलों का निस्तारण एकलनिर्णय के द्वारा किया जा रहा है।
2. उक्त दोनों अपीलों में अपीलांट्स के द्वारा उप तहसीलदार पापडदा द्वारा दिनांक 31.10.2022 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम लक्ष्मीनारायण वगै व सरकार बनाम रामखिलाडी के विरूद्ध प्रकरण सं0 120/2022 व 112/2022 में पारित किये गये है से व्यथित होकर उक्त निर्णयों को निरस्त करने हेतु यह अपीलें प्रस्तुत की गई है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया।
4. अधिवक्ता अपीलांट् ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि, पटवारी हल्का पापडदा ने अपीलांट के खिलाफ निहायत ही झूठे तथ्यो के आधार पर तथा माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदैन राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर कैम्प दौसा के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.1999 एवं माननीय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदैन राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर कैम्प दौसा के द्वारा इजराय में पारित आदेश दिनांक 29.11.2018 के विपरीत जाकर एक विधि विरूद्ध रिपोर्ट उप तहसीलदार पापडदा के समक्ष दिनांक 01.09.2022 /

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:43:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर दौसा

02.09.2022 को इस आशय की प्रस्तुत की कि "लक्ष्मीनारायण, शंभू, हरी नारायण पुत्रान भुवाना मीना, हजारी पुत्र कजोड जाति निवासी डोबल्या ने खसरा नम्बर 1089 रकबा 1.33 है0 किस्म चरागाह वाकै ग्राम पापडदा पर संवत 2079 पर पक्की चार दुकाने व छप्पर लगाकर कब्जा (पूर्व निर्मित) 0.01 है० पर एवं 0.40 है० पर बाजरा की फसल एवं रामखिलाडी पुत्र अमरपाल मीना ने खसरा नंबर 1084 रकबा 1.79है. किस्म चरागाह वाके ग्राम पापडदा पर संवत 2079 पर बाजरा अतिचार किया है। उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिस जारी किये, जिस पर अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.10.2022 को उपस्थित आये, तथा अधीनस्थ न्यायालय को उक्त भूमी खसरा नम्बर 1084 लगायत 1089 के सम्बन्ध में पारित माननीय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदैन राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर कैम्प दौसा के मुकदमा अनुवानी मूल्या बनाम राजस्थान सरकार मुकदमा नम्बर 28/1996 के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.1999 एवं माननीय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदैन राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर कैम्प दौसा के द्वारा इजराय अनुवानी कजोड राजस्थान सरकार मु.न. 168 / 2018 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जो उक्त भूमी प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजन की खातेदारी भूमी है, गलत तरीके से चरागाह अंकित हो गई थी, जिसके सम्बन्ध में माननीय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदैन राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर कैम्प दौसा ने पूर्ण विवेचना कर उपरोक्त निर्णय पारित करते हुए खातेदारी का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर रखे हैं, लैकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के उपरवर्णित, निर्णय व डिकी एवं इजराय आदेश के विपरीत जाकर अपीलाण्ट्स शम्भूदयाल के खाली ऑर्डरशीट पर हस्ताक्षर करवाकर अपीलाण्ट को भिजवा दिया, तथा अपीलाण्ट्स के पीछे से एवं विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 31.10.2018 को ही आदेश पारित फरमाते हुए अपीलाण्ट्स को भूमी खसरा नम्बर 1089 पर अतिचारी घोषित करते हुए तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानते हुए अपीलाण्ट को उक्त भूमी खसरा नम्बर 1084 व 1089 के उक्त रकबे की निर्धारित लगान का 50 गुना पैनल्टी आरोपित की जाकर मौका बेदखली के आदेश पारित फरमा दिये, तथा फसल बाजरा कब्जे राज लेकर बेदखली हेतु भू. अभि. नि. को लिखे जाने के आदेश पारित फरमा दिये । तथा पटवारी / गिरदावर हल्का को जुर्माना वसूली करने व बेदखली हेतु लिखे जाने तथा तहसील राजस्व लेखाकार नांगल राजावतान से मांग कायमी हेतु लिखा जाने के आदेश पारित फरमा दिये। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 31.10.2022 अवैद्य अमान्य एवं विधि विरुद्ध आदेश है, इसलिये दिनांक 31.10.2022 के निर्णय के खिलाफ अपील श्रीमान के समक्ष अपील अपीलांट प्रस्तुत की जा रही है। निर्णय अधिनस्थ न्यायालय विधि विरुद्ध प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलांट के पिता एवं दादा व अन्य ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के समक्ष विवादित आराजी खसरा नम्बर 1084 लगायत 1089 के सम्बन्ध में दावा स्थाई निषेधाज्ञा, उद्घोषणा, एवं इन्द्राज दुरूस्ती का सन् 1993 में पेश किया, जिसको न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा ने दिनांक 11.06.1996 को खारिज फरमा दिया, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के निर्णय व डिकी दिनांक 11.06.1996 के विरुद्ध अपीलाण्ट के पिता व अन्य ने माननीय न्यायायल भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदैन राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर कैम्प दौसा के समक्ष अपील अनुवानी मूल्या बनाम राजथान सरकार अपील सं. 28/1996 पेश की, जिसको माननीय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदैन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा ने वादग्रस्त भूमी [illegible] 1084 लगायत 1089 की बाबत साबिका खसरा नम्बरान से पूर्ण विवेचन कर अधीनस्थ [illegible] का आदेश खारिज फरमाते हुए वादग्रस्त भूमी का खातेदार काश्तकार [illegible] दरामद करने के आदेश दिनांक 28.08.1999 को पारित किये हैं। माननीय न्यायायल भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदैन राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर कैम्प दौसा के उक्त आ[illegible] दिनांक 28.08.1999 की पालना हेतु इजराय अपीलाण्ट संख्या लगायत 3 एवं अपीलाण्ट संख्या 04 के पिता कजोडमल (फौत) पुत्र भुवाना व अन्य द्वारा दिनांक 17.09.2018 को पेश की, जिस पर माननीय न्यायायल भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदैन राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर कैम्प दौसा द्वारा दिनांक 29.11.2018 को आदेश पारित कर आदेश दिनांक 28.08.1999 की पालना हेतु तहसीलदार दौसा को ओदश

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:43:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर दौसा

प्रदान किये, जिस पर उक्त आदेश की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पापडदा ने जानबूझकर अदावटवश अपीलाण्ट के खिलाफ निहायत ही गलत तरीके से तथा विधि विरूद्ध तरीके से पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब कर अपीलाण्ट के खिलाफ धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 31.10.2022 को आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है, अतः उक्त निर्णय अवैध व प्रभावशून्य निर्णय है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के समस्त तथ्य व विवरण तथा माननीय न्यायायल भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदैन राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर कैम्प दौसा के निर्णय को अनदेखा कर तथा उक्त निर्णय बाबत कतई अपने आदेश दिनांक 31.10.2022 में कोई हवाला दिये बिना उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है, जिससे उप तहसीलदार पापडदा की अदावट को पूर्ण दर्शाता है, इस प्रकार उक्त उप तहसीलदार पापडदा द्वारा पारित उक्त आदेश अवैद्य आमन्य व प्रभावशून्य आदेश है, अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट्स मंजूर फरमाकर मुकदमा नम्बर 120/2022 सरकार बनाम लक्ष्मीनारायण व अन्य एवं मुकदमा नंबर 112/2022 सरकार बनाम रामखिलाडी धारा 91 लै0 रै० एक्ट में पारित निर्णय अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार पापडदा दिनांक 31.10.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि उप तहसीलदार पापडदा द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध नियमानुसार धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की गई है। अपीलांट्स द्वारा गलत आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील अपदीलांट्स निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, अपीलार्थियों (लक्ष्मीनारायण, शम्भूदयाल, हरिनारायण एवं हजारी) द्वारा प्रस्तुत अपील, तथा अधीनस्थ न्यायालय (उप तहसीलदार, पापडदा) द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत मुकदमा नम्बर 120/2022 एवं 112/2020 में पारित आक्षेपित आदेशों दिनांक 31.10.2022 का मेरे द्वारा भली–भांति अवलोकन व परिशीलन किया गया।

8. अपीलार्थी का कथन है कि विवादित भूमि (ग्राम पापडदा के खसरा नम्बर 1084 लगायत 1089) के संबंध में पूर्व में माननीय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा द्वारा मुकदमा नम्बर 28/1996 में दिनांक 28.08.1999 को निर्णय व डिक्री पारित कर अपीलार्थियों/उनके पूर्वजों के पक्ष में खातेदारी का इन्द्राज करने के आदेश दिए जा चुके हैं एवं उक्त आदेश की पालना हेतु माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा इजराय आदेश दिनांक 29.11.2018 भी जारी कर तहसीलदार को निर्देशित किया जा चुका है। किन्तु यह भी सत्य है कि उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में चरागाह भूमि के रूप में दर्ज है साथ ही उक्त भूमि पर अतिक्रमी द्वारा उक्त भूमि पर दुकान एवं छप्पर लगाया हुआ है। कृषि भूमि पर भी बिना विधिक संपरिवर्तन के दुकान चलाकर व्यावसायिक गतिविधि किया जाना विधि विरूद्ध है। ऐसे में यदि अपीलार्थी का कथन सही भी मान लिया जाये तो भी दुकान के रूप में उपयोग न्याय संगत नहीं है। साथ ही अपीलार्थी को यह हिदायत दी जाती है कि यदि वह उक्त भूमि पर अपना स्वामित्व क्लेम करता है तो वह न्यायालय में इजराय के माध्यम से उक्त भूमि की खातेदारी स्वयं के लिए कार्यवाही करे। उक्त बिन्दु पर विवेचन भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नहीं किया जा सकता।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। उप तहसीलदार पापडदा द्वारा पारित अपीलधीन निर्णय जो कि दिनांक 31.10.2022 को सरकार बनाम रामखिलाडी व सरकार बनाम लक्ष्मीनारायण वगै0 में पारित [illegible] बहाल रखा जाता है। मूल निर्णय अपील सं0 34/2022 में रखा जावे एवं निर्णय की छाया प्रति अपील सं0 35/2022 में रखी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख/पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:43:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 27 मार्च, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:43:43 IST
Reason: SelfAttested